विविध बैंक प्रकरण संख्या 90/2018 (RCMS 2019/00163) आईडीबीआई बैंक लि. शाखा श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स नांगल ट्रांसपोर्ट कम्पनी 2 नरेन्द्र सिंह 3 गुरनाम सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी 42 प्रथम मंजिल, राणा प्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर, राजस्थान–335001

20.01.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स नांगल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, नरेन्द्र सिंह और गुरनाम सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 25.00 लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चीस लाख रूपये मात्र) का ऋण दिनांक 04.01.2014 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी गुरनाम सिंह की अचल सम्पत्ति भूमि व भवन मकान नं. 42 (क्षेत्रफल 2100 वर्गफुट), राणा प्रताप कॉलोनी, चक 3 ई छोटी, एस.क्यू नं. 18/19, खसरा नं. 14, श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.09.2014 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 01.12.2017 को 26,08,280/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.12.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी गुरनाम द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति भूमि व भवन मकान नं. 42 (क्षेत्रफल 2100 वर्गफुट), राणा प्रताप कॉलोनी, चक 3 ई छोटी, एस.क्यू नं. 18/19, खसरा नं. 14, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स नांगल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, नरेन्द्र सिंह, गुरनाम सिंह अमरजीत कौर को 25.00/—लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चीस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 04.01.2014 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में गुरनाम सिंह द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति भूमि व भवन मकान नं. 42 (क्षेत्रफल 2100 वर्गफुट), राणा प्रताप कॉलोनी, चक 3 ई छोटी, एस.क्यू नं. 18/19, खसरा नं. 14, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 29.09.2014 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 28.12.2017 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से जारी किये गए है, की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है परन्तु प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे अप्रार्थी ऋणियों को नोटिस तामील हुआ है अथवा नहीं?, का पता नहीं चलता है तथा गारंटर अमरजीत कौर को प्रार्थी बैंक ने पक्षकार नहीं बनाया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति भूमि व भवन मकान नं. 42 (क्षेत्रफल 2100 वर्गफुट), राणा प्रताप कॉलोनी, चक 3 ई छोटी, एस.क्यू नं. 18/19, खसरा नं. 14, श्रीगंगानगर, जो गुरनाम सिंह के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.12.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 28.12.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण मै. नांगल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, नरेन्द्र सिंह, गुरनाम सिंह एवं अमरजीत कौर के नाम जारी किये गये है जिसकी पोस्ट ऑफिस की दिनांक 02.01.2018 को नोटिस भेजने की रसीद पेश की है परन्तु प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा अप्रार्थी गारंटर अमरजीत कौर को पक्षकार नहीं बनाया गया है

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के तहत गारंटर को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की तामील पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।**

अतः प्रार्थी आई.डी.बी.आई. बैंक लि. श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम के प्रावधानों के पालना करते हुए नये सिरे से सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर